

ओवरव्यू

इस प्रतिवेदन में ₹ 407.87 करोड़ के कर प्रभाव से आवेष्टित 'वैट के अंतर्गत कर-निर्धारण की प्रणाली' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा करों, ब्याज, पेनल्टी के अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण, उत्पाद शुल्क, यात्री एवं माल कर, रायल्टी इत्यादि के अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण से संबंधित 23 अनुच्छेद शामिल हैं।

1. अध्याय – 1

सामान्य

वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 38,012.08 करोड़ की तुलना में वर्ष 2014-15 के लिए राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां ₹ 40,798.66 करोड़ थी। इसमें से, 79 प्रतिशत कर राजस्व (₹ 27,634.57 करोड़) तथा कर-भिन्न राजस्व (₹ 4,613.12 करोड़) से एकत्रित किए गए थे। शेष 21 प्रतिशत भारत सरकार से विभाज्य संघीय करों के राज्य के हिस्से (₹ 3,548.09 करोड़) तथा सहायता अनुदान (₹ 5,002.88 करोड़) के रूप में प्राप्त किया गया था। पिछले वर्ष से राजस्व प्राप्तियों में ₹ 2,786.58 करोड़ की वृद्धि थी।

(अनुच्छेद 1.1.1)

बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, राज्य उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस, माल एवं यात्रियों पर कर, वाहनों पर कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियों की 319 इकाइयों के अभिलेखों की वर्ष 2014-15 के दौरान की गई नमूना-जांच ने 3,89,086 मामलों में कुल ₹ 2,677.30 करोड़ के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/अनुद्ग्रहण/राजस्व की हानि दर्शाई। वर्ष 2014-15 के दौरान, विभाग ने 5,993 मामलों में ₹ 394.96 करोड़ के अवनिर्धारण स्वीकार किए। इनमें से, विभाग ने पूर्ववर्ती वर्षों के 201 मामलों में ₹ 6.62 करोड़ वसूल कर लिए थे।

(अनुच्छेद 1.11)

2. अध्याय – 2

बिक्रियों, व्यापार पर कर/मूल्य वर्धित कर

“वैट के अंतर्गत कर-निर्धारण की प्रणाली” पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित दर्शाया:

पंजीकरण प्रमाण-पत्र को रद्द करने के अतिरिक्त कर-निर्धारणों के अंतिमकरण के लिए प्रावधान के अभाव के कारण दो मामलों में ₹ 17.52 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

(अनुच्छेद 2.2.8)

अपंजीकृत निर्माण ठेकेदारों से अन्तर्विभागीय डाटा की विनिमय प्रणाली स्थापित करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप 605 मामलों में ₹ 35.66 करोड़ की पेनल्टी के अतिरिक्त ₹ 35.66 करोड़ के कर की वसूली नहीं हुई।

(अनुच्छेद 2.2.9)

₹ 235.50 करोड़ मूल्य की अवर्गीकृत मदों पर 12.5 प्रतिशत की लागू दर के विरुद्ध चार/पांच प्रतिशत के कर की गलत दर लागू करने के परिणामस्वरूप 49 मामलों में ₹ 92 लाख के अनियमित रिफंड के अतिरिक्त ₹ 14.98 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(अनुच्छेद 2.2.11.1)

कर-निर्धारण प्राधिकारियों (ए.एज) ने जाली घोषणा फार्मों सी, एफ तथा एच के विरुद्ध माल की बिक्री/हस्तांतरण पर कर की शून्य/रियायती दर अनुमत की जिसके परिणामस्वरूप 16 मामलों में ₹ 13.23 करोड़ की पेनल्टी तथा ₹ 4.41 करोड़ के कर का अनुद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 2.2.11.2)

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने सी फार्मों पर बेचे गए माल के गतिविधि के प्रमाण प्रस्तुत न करने तथा झूठी रिटर्नो/वैट सी-4 प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने के लिए कर की अन्तरीय राशि उद्ग्रहीत की किंतु 13 मामलों में ₹ 18.07 करोड़ की अनिवार्य पेनल्टी उद्ग्रहण करने में विफल रहे।

{अनुच्छेद 2.2.11.3 (i) तथा (ii)}

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने कैरी-फारवर्ड कर का गलत परिकलन, कर रियायत की छूट तथा 90 मामलों में ₹ 55 करोड़ के ब्याज तथा सरचार्ज का उद्ग्रहण नहीं किया।

(अनुच्छेद 2.2.11.4)

चैकलिस्टें बनाने, घोषणा फार्मों के लेखे प्राप्त करने, कर के भुगतान के प्रमाण, बिक्रियों/क्रयों के क्रास सत्यापन तथा माल की गतिविधि की चैकिंग करने के संबंध में मार्च 2006/फरवरी 2007/जुलाई 2013 को अनुदेश/दिशानिर्देश जारी करने के बावजूद ए.एज द्वारा मामलों की समीक्षा करते समय उनका अनुसरण नहीं किया जा रहा था।

(अनुच्छेद 2.2.12.2)

रिटर्नो फाईल न करने के लिए पेनल्टी के उद्ग्रहण, उचित प्रोफार्मा (वैट ए-4) में रिफंड आवेदन प्राप्त करने, फार्म सी में बेची गई/खरीदी गई मदों की शब्दावली का वर्णन करने, संपूर्ण सी-4, वैट डी-2/एच फार्मों को स्वीकार करने से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था। आगे, मांग एवं संग्रहण रजिस्टर का अनुरक्षण न करने, कर-निर्धारण आदेशों/मांग नोटिसों को देरी से जारी करने तथा मामलों के पुनः कर-निर्धारण में विलंब के परिणामस्वरूप ₹ 16.46 करोड़ के कर की कम वसूली हुई।

{अनुच्छेद 2.2.12.2 (क-ड.) तथा 2.2.12.3 }

संपादन लेखापरीक्षा

₹ 95.81 करोड़ मूल्य के शुल्क तथा हकदारी पासबुक (डी.ई.पी.बी.)/आयात लाईसेंस की खरीद, जो पुनः बिक्री के लिए उपयोग किए जाने हैं, देय सीमा शुल्क के विरुद्ध गलत ढंग से समायोजित की जानी अनुमत की गई थी, परिणामस्वरूप एक डीलर को ₹ 4.84 करोड़ के गलत आई.टी.सी. की स्वीकृति दी।

(अनुच्छेद 2.3)

एक मामले में डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), पंचकूला द्वारा 12 महीने व्यतीत होने के बाद भी ब्याज उद्ग्रहण करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई थी, परिणामतः ₹ 3.49 करोड़ के ब्याज का अनुद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 2.4)

ए.एज ने वैट के अंतर्गत ₹ 33.93 करोड़ के कर पर पांच प्रतिशत की दर पर सरचार्ज के रूप में अतिरिक्त कर का उद्ग्रहण नहीं किया, परिणामस्वरूप 42 मामलों में ₹ 1.69 करोड़ के सरचार्ज का अनुद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 2.5)

स्टीम/कढ़ाई वाले वस्त्रों एवं स्पेयर पार्ट्स के गलत वर्गीकरण तथा 12.5 प्रतिशत की कर योग्य दर के विरुद्ध कम दर पर कर उद्ग्रहण करने के परिणामस्वरूप सात मामलों में ₹ 1.98 करोड़ के कर तथा सरचार्ज का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 2.6)

3. अध्याय – 3

राज्य उत्पाद शुल्क

41 लाईसैंसधारी, निर्धारित तारीखों तक वर्ष 2013-14 हेतु देय लाईसैंस फीस की मासिक किस्तों का भुगतान करने में विफल रहे तथा डी.ई.टी.सीज (आबकारी) ने दुकानों को सील करने के लिए कार्रवाई आरंभ नहीं की परिणामतः ₹ 15.39 करोड़ की लाईसैंस फीस तथा ₹ 4.58 करोड़ के ब्याज की अवसूली/कम वसूली/अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 3.2)

4. अध्याय – 4

स्टाम्प शुल्क

89 विलेख कलैक्टर द्वारा नियत दरों पर आधारित ₹ 566.65 करोड़ पर कर-निर्धारित करने की बजाए ₹ 258.45 करोड़ पर कर-निर्धारित किए गए थे, परिणामस्वरूप ₹ 14.53 करोड़ के एस.डी. का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.2)

पंजीकरण प्राधिकारियों ने शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत तथा गांव में आवासीय क्षेत्रों के निकट किंतु नगरपालिका के अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 1,000 वर्ग गज से कम क्षेत्र वाले प्लॉटों के 127 बिक्री विलेखों का शहरी भूमि की बजाय कृषीय भूमि हेतु नियत दरों पर कर-निर्धारण किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.46 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.3)

कलैक्टर द्वारा 65 विलेख प्राइम भूमि हेतु नियत दरों पर ₹ 66.78 करोड़, जिन पर ₹ 2.86 करोड़ का एस.डी. उद्ग्राह्य था, की बजाए कृषीय भूमि के रूप में ₹ 35.92 करोड़ हेतु निर्धारित किए गए थे जिन पर ₹ 1.63 करोड़ का एस.डी. उद्गृहीत किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.23 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.4)

पंजीकरण प्राधिकारियों ने, कलैक्टर दरों के अनुसार ₹ 17.26 करोड़ के मूल्य तथा ₹ 89.80 लाख के एस.डी., पर दस्तावेजों के पंजीकरण की बजाय पार्टियों के मध्य पहले ही अनुबद्ध की गई दरों के आधार पर भूमि का मूल्य ₹ 4.27 करोड़ निर्धारित किया तथा ₹ 18.55 लाख का एस.डी. उद्गृहीत किया परिणामस्वरूप 45 मामलों में ₹ 71.25 लाख के एस.डी. की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 4.5)

5. अध्याय - 5

वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

आबकारी एवं कराधान विभाग (यात्री एवं माल कर)

आंतरिक नियंत्रण, मॉनीटरिंग तथा अनुवर्ती कार्रवाई की कमी के कारण कर-निर्धारण प्राधिकारी, चूककर्ता वाहन मालिकों को नोटिस भेजने में विफल रहे परिणामस्वरूप 15,850 मामलों में ₹ 14.59 करोड़ के ब्याज के अतिरिक्त या तो डी.सी.आर.ज को अद्यतन नहीं किया गया या ₹ 24.10 करोड़ की सीमा तक यात्री एवं माल कर की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 5.2.1 से 5.2.4)

परिवहन विभाग

एच.एस.आर.पी.ज स्नैप लॉक, जो बेहतर सुरक्षा के लिए अनिवार्य था, के बिना लगाई गई थी; नए पंजीकृत वाहनों पर एच.एस.आर.पी.ज लगाना 27 तथा 81 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित रहा तथा पुराने वाहनों पर एच.एस.आर.पी.ज का प्रतिस्थापन आरंभ नहीं किया गया। मॉनीटरिंग तथा अनुवर्ती कार्रवाई की कमी के कारण विभाग चूककर्ता पी.सी.सी. मालिकों/ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूलों से लंबित लाईसैंस फीस वसूल करने के लिए नोटिस जारी करने में विफल रहा परिणामस्वरूप ₹ 7 लाख की लाईसैंस फीस की वसूली नहीं हुई।

(अनुच्छेद 5.3.1 से 5.3.5)

नियंत्रण अधिकारी द्वारा वित्तीय नियमों की अनुपालना न करने के परिणामस्वरूप ₹ 4.46 लाख के सरकारी धन का संदिग्ध दुरुपयोग हुआ।

(अनुच्छेद 5.4)

6. अध्याय - 6

अन्य कर एवं कर - भिन्न प्राप्तियां

खदान एवं भू - विज्ञान विभाग

पांच जिलों के संबंध में 81 ईट भट्ठा मालिकों से ₹ 24.92 लाख की राशि की रायल्टी तथा ब्याज की वसूली नहीं की गई थी जिन्हें अप्रैल 2011 तथा अप्रैल 2014 के मध्य परमिट जारी किए गए थे।

(अनुच्छेद 6.2)